संख्या-20/2022/166/22-2-2022-21(66)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 05 मई, 2022

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जौहर उर्फ बोबी पुत्र श्री मरगूब, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3991/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-10-01-2022) दिनांक-03-02-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जौहर उर्फ बोबी पुत्र श्री मरगूब, जो निवासी-खेडी कुरैश, थाना-खतौली, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश व मुकदमेंबाजी के कारण दिनांक 17.12.2002 को प्रात: 09:00 बजे 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों व बन्दूक से गोली मार साजिद व हामिद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1709/2003 भा0द0सं0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.06.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 16 वर्ष 01 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक, जनपद-मुजफ्फरनगर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त, बन्दी के समयपूर्व अथवा पैरोल आने पर अपराध कर सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

सिद्धदोष बन्दी जौहर उर्फ बोबी पुत्र श्री मरगूब श्री राम भरत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश व मुकदमेंबाजी के कारण दिनांक 17.12.2002 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों व बन्दूकों से गोली मार साजिद व हामिद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने व अशक्त नहीं होने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, आयु, जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जौहर उर्फ बोबी पुत्र श्री मरगूब को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-18643/2021 जौहर उर्फ बोबी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2021 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी जौहर उर्फ बोबी (बन्दी संख्या-16846) पुत्र श्री मरगूब, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-20/2022/166(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-20/2022/166/22-2-2022-21(66)/2021

दिनांक 05 मई, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी जौहर उर्फ बोबी पुत्र श्री मरगूब, जो निवासी-खेडी कुरैश, थाना-खतौली, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। बंदी ने पुरानी रंजिश व मुकदमेंबाजी के कारण दिनांक 17.12.2002 को प्रात: 09:00 बजे 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों व बन्दूक से गोली मार साजिद व हामिद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1709/2003 भा0द0सं0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 01.06.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.12.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 16 वर्ष 01 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जनपद-मुजफ्फरनगर, पुलिस अधीक्षक, जनपद-मुजफ्फरनगर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त, बन्दी के समयपूर्व अथवा पैरोल आने पर अपराध कर सकने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

सिद्धदोष बन्दी जौहर उर्फ बोबी पुत्र श्री मरगूब श्री राम भरत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई पर विचार-विमर्श किया गया। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने पुरानी रंजिश व मुकदमेंबाजी के कारण दिनांक 17.12.2002 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टों व बन्दूकों से गोली मार साजिद व हामिद नामक 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने व अशक्त नहीं होने का अंकन जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, आयु, जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी जौहर उर्फ बोबी पुत्र श्री मरगूब को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in